

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

क्र. मुकदमा 531188 अ प अ विपक्षी श्री 36 सुब्बलाल पत्रावली संख्या 89/10 सन _____

| क्र.सं. | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---------|--|---|
| | <p><u>19/5/20</u> पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/ प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठासीन- अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें हैं। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>14/7/20</u> को पेश हो। (स)</p> <p><u>14/7/20</u> पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/ प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें हैं। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>18/8/20</u> को पेश हो। (स)</p> <p><u>18/8/20</u> पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/ प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें हैं। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>5/10/20</u> को पेश हो। (स)</p> <p><u>5/10/20</u> पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/ प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें हैं। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>02/11/20</u> को पेश हो।</p> <p><u>21/11/20</u> पत्रावली पेश हुई। वकील, वकील प्रार्थी का अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें हैं। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>21/12/20</u> को पेश हो।</p> <p><u>21/12/20</u> पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/ प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें हैं। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>01/02/21</u> को पेश हो।</p> | |



1/2/21

मकहाड इलाहाबाद

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 22/3/21 को पेश हो।

विभाग शिकायत/दण्डाण्ड/मजदुराणा
दिनांक
पत्रावली दिनांक

22/3/21

पत्रावली दिनांक

पत्रावली पेश हुई। वादीयों मय अधिवक्ता को आवार्जि दिलवाई गई, अनुपस्थित है। समय सांय 5:00 बज चुके हैं। वादीयों मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर वादीयों का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल सुमार होकर नम्बर से कम है। निर्णय सुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर (SDO) मावली

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.